**समुद्रपार से आयातित ब्राण्डस हेतु आयातक इकाई एवं कस्टम बॉण्ड का पंजीकरणः—**

आबकारी पोर्टल के संदर्भ में, आयातक इकाइयाँ वे इकाइयाँ हैं जो सीधे दूसरे देशों से मदिरा आयात करती हैं या आयात हेतु किसी प्रमुख आयातक द्वारा अधिकृत की जाती हैं और जो यूपी राज्य के पंजीकृत FL2Ds को ब्रांड्स की आपूर्ति करने को इच्छुक हैं। इन आयात इकाइयों को यूपी में स्थित किसी भी कस्टम बॉन्ड में सामग्री को संग्रहीत करने की अनुमति दी जाएगी और केवल इन बॉन्ड्स से ही एफ0एल02डी की आपूर्ति अनुमन्य होगी। उक्त प्रक्रिया सिविल और सीएसडी दोनों आपूर्ति के लिए मान्य होगी।

यूपी के आबकारी पोर्टल पर दो पंजीकरण प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं— एक, कस्टम बॉन्ड एवं दूसरी, आयातक इकाई के पंजीकरण के लिए।

**कस्टम बॉन्ड के पंजीकरण के लिए प्रक्रियाः—**

1. पोर्टल के होम पेज से ''ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण'' विकल्प का चयन करें। यह विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन के लिए एक नया पेज प्रदान करेगा।

2. ''यूपी में कस्टम बॉन्ड्स के पंजीकरण हेतु आवेदन'' के लिए दिए गए विकल्प का चयन करें, विकल्प को चुनते ही एक आवेदन पत्र भरने हेतु खुल जाएगा।

3. आवश्यक विवरण भरें और बॉन्ड लाइसेंस कॉपी अपलोड करने के उपरान्त कृपया सुनिश्चित करें कि लाइसेंस की वैद्यता अवधि चलन में हो और भरी भी जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी भरे हुए आंकड़े सही हैं, फॉर्म को सेव कर लें वह संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध होगा।

5. बॉन्ड के सत्यापन और निरीक्षण के बाद DEO द्वारा अनुमोदनोपरान्त कस्टम बॉण्ड को पंजीकृत कर लॉग—इन आवंटित किया जाएगा और इसे यूपी के पंजीकृत कस्टम बॉन्ड के रूप में एक्साइज डेटाबेस में जोड़ा जाएगा।

**आयातक इकाई के पंजीकरण के लिए प्रक्रियाः—**

1. आयात करने वाली इकाइयों (प्रधान अथवा अन्य) के रूप में पंजीकरण के लिए, आवेदक को होम पेज पर जाना होगा और ''ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण'' विकल्प चुनना होगा। तदोपरान्त एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

2. दिए गए विकल्पो में ''अन्य देशों से आयातित मदिरा के लिए आयात इकाइयों के पंजीकरण के लिए आवेदन'' के रूप में प्रदान किए गए विकल्प का चयन करें।

3. उक्त के पश्चात् एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें आयातक इकाई के विकल्प को चुनते ही नए पंजीकरण हेतु एक लिंक प्रदर्शित होगी।

4. नए पंजीकरण पर क्लिक करते ही फार्म पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। फॉर्म को पूरी तरह से भरना होगा।

5. आवेदन पत्र किसी व्यक्ति, एक फर्म के रूप में या एक कंपनी के रूप में भरा जाएगा। आवेदक को अपना विस्तृत विवरण (आधार नंबर,मोबाईल नं0, और ई—मेल आई0डी) पंजीकरण के वक्त भरना होगा।

6. व्यक्ति अथवा फर्म/कंपनी के मामले में पैन नं0 और जी0एस0टी0एन नं0 भरना अनिवार्य है।

7. उपरोक्त विवरण भरने के उपरान्त आवेदक द्वारा एक अथवा एक से अधिक पंजीकृत कस्टम बॉण्डस का विकल्प चुना जाएगा, जहॉ पर स्टॉक रखा जाएगा एवं जहॉ से उक्त स्टॉक की आपूर्ति की जाएगी।

8. इन विवरणों को भरने के बाद, आवेदक के लिए यूजर—आई0डी बनाया जाएगा और आवेदक को एसएमएस ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये गयें मोबाइल नंबर / ई—मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा।

9. अब आवेदक एसएमएस ई—मेल के माध्यम से भेजे गए क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं और आगे की कार्यवाही संचालित कर सकते है।

10. लागिन करने के पश्चात् एक डैशबोर्ड प्राप्त होगा, जो आवेदन प्रपत्र की वर्तमान स्थिति दिखाएगा और इस विकल्प में दी गई ऑनलाइन डिपासिट फैसिलिटी का उपयोग करके आवश्यक शुल्क जमा करने का विकल्प प्राप्त होगा।

11. आवेदक द्वारा चालान जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र अन्तिमीकृत होकर अनुमोदन हेतु अग्रसारित हो जाएगा।

12. उपयोगकर्ता को आवेदन पत्र की स्थिति की जाँच करनी चाहिए और यदि अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति लगाई जाती है, तो वह पोर्टल पर दिखाई देगा और आवेदक आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो वांछित दस्तावेज अपलोड कर सकता है।

13. जब आवेदन अंत में अनुमोदित हो जाता है, तो अनुमोदन पत्र डाउनलोड करने के लिए एक डाउनलोड लिंक स्टेटस पेज पर दिखाई देगा।

14. अनुमोदन के पश्चात् आयातक इकाई द्वारा काम करने के लिए पोर्टल लॉगिन बनाया जाएगा। इस लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करके आयातक इकाई पोर्टल के साथ लॉगिन कर सकती है और नियमित कार्य का संचालन कर सकती है।

15. इंपोर्टिंग यूनिट के लॉगिन के साथ ही प्रत्येक कस्टम बॉन्ड के लिए अलग–अलग लॉगिन बनाया जाएगा, जिसे आयातक इकाई ने पूर्व में अपने आवेदन के साथ पंजीकृत किया है।

16. आयातक इकाई के लिए इन कस्टम बॉन्ड उपयोगकर्ताओं का उपयोग करते हुए, उपयोगकर्ता उक्त आयातक इकाई के लिए कस्टम बॉन्ड पर स्टॉक बनाए रखेगा।

17. ये सभी उपयोगकर्ता क्रेडेंशियलस एसएमएस / ई–मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे

<u>आयातक यूनिट लॉगिन पर उपलब्ध सुविधाऍः–</u>

1. आयातक इकाई से संबंधित अन्य कस्टम बॉण्ड्स को जोड़ने की सुविधा।

2. आयातक इकाई से संबंधित अन्य कस्टम बॉण्ड्स को निकालने की सुविधा।

3. ब्रांड और लेबल पंजीकरण।

<u>आयातक इकाई –कस्टम बॉण्ड संयुक्त लॉग–इन पर उपलब्ध सुविधाऍः–</u>

1. सबसे पहले किसी विशेष इंपोर्टिंग यूनिट के लिए कस्टम बॉन्ड को वर्ष 2020–21 हेतु अनुमन्य ब्रॉण्ड्स का ओपनिंग स्टॉक घोषित करना होगा।

2. जब स्टॉक केंद्रीय कस्टम बॉन्ड या किसी अन्य राज्य के किसी कस्टम बॉन्ड से प्राप्त किया जाता है, तो उक्त को स्टॉक की प्राप्ति के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। इस हेतु बी0ओ0ई आादि अपलोड किए जाने होंगे।

3. जब पंजीकृत कस्टम बॉन्ड उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी भी गंतव्य के लिए स्टॉक को भेजता है, तो उसको विवरण घोषित करना होगा।

4. जब एफ0एल2डी  को परमिट जारी किया जाता है, तो आयातक इकाई का नाम और जहां से आपूर्ति की जानी है, उस कस्टम बॉण्ड का उल्लेख किया जाएगा।

5. किसी भी आयातक इकाई–कस्टम बॉन्ड के लिए जारी किए गए परमिट भी डाउनलोड करने के लिए कस्टम बॉन्ड लॉगिन पर उपलब्ध होंगे।

6.  आयातक इकाई–कस्टम बॉण्ड लॉगिन से परमिट को स्वीकार किया जाना होगा और संबंधित बारकोड/क्यूआर कोड को डाउनलोड करना होगा, जिसे निर्दिष्ट प्रारूप में मुद्रित किया जाना चाहिए और क्रमशः बॉक्स, मोनो कार्टन और बोतल पर चिपकाया जाना होगा।

7. उक्त परमिट के सापेक्ष राज्य के एफ0एल02डी0 को सामग्री को भेजते समय पेटी को स्कैन और अपलोड करना होगा जिसके आधार पर डिस्पैच स्लिप जनरेट होगा।

8. राज्य के बाहर डिस्पैच सामग्री को भी पोर्टल पर दर्शाना होगा और स्टॉक को तद्नुसार अपडेट करना होगा।